## हिमाचल प्रदेश सरकार राजस्व विभाग

संख्याःरैव०बी.ए.(३)७ / २०१०

तारीख शिमला—2

20 दिसम्बर, 2011.

## अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए राजस्व विभाग से सम्बन्धित सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और नियत समय—सीामा को निम्न प्रकार से अधिसूचित करती है:—

सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी	समय–सीमा	प्रथम अपीलिय प्राधिकारी
राजस्व अभिलेखों की	पटवारी	यदि सोमबार, बुद्धबार	तहसील / उप—
प्रत्तियों का प्रदाय।		या शुक्रबार को मांगी	तहसील में
		गई है तो उसी दिन	तहसीलदार / नायब
		अन्यथा आगामी ऐसे	तहसीलदार।
		दिन को।	
विभिन्न प्रमाण पत्रों	पटवारी	यदि सोमबार, बुद्धबार	तहसील / उप—
को जारी करने के		या शुक्रबार को मांगी	तहसील में
लिए रिपोर्टें।		गई है तो उसी दिन	तहसीलदार / नायब
		अन्यथा आगामी ऐसे	तहसीलदार।
		दिन को।	
प्राकृतिक आपदा के	पटवारी	सात दिन के भीतर।	तहसील / उप-
कारण हुए नुकसान			तहसील में
की रिपोर्टें।			तहसीलदार / नायब
			तहसीलदार।
नामांतरण (इंतकाल)	पटवारी	यदि सोमबार, बुद्धबार	तहसील / उप–
की प्रविष्टि।		या शुक्रबार को मांगी	तहसील में
		गई है तो उसी दिन	तहसीलदार / नायब
		अन्यथा आगामी ऐसे	तहसीलदार।
		दिन को।	
विभिन्न प्रमाण पत्रों	तहसीलदार/	यदि अधिकारी उपस्थित	उप—मण्डलाधिकारी
को जारी करना।	नायब तहसीलदार	है तो उसी दिन जारी	(नागरिक)।

		कर दिया जाएगा या	
		आख्यापक आदेश द्वारा	
		नामन्जूर कर दिया	
		जाएगा ।	
शपथ-पत्र/	तहसीलदार /	यदि अधिकारी उपस्थित	उप–मण्डलाधिकारी
मुख्तारनामा का	नायब तहसीलदार	है तो उसी दिन अन्यथा	(नागरिक)।
अनुप्रमाणन ।		आगामी दिन को।	
विलेख / दस्ताबेज	तहसीलदार /	यदि अधिकारी उपस्थित	उप—मण्डलाधिकारी
का रजिस्ट्रीकरण।	नायब तहसीलदार	है तो उसी दिन अन्यथा	(नागरिक)।
		आगामी दिन स्वीकार	
		की जाएगी या नामन्जूर	
		की जाएगी।	

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव(राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार । (Authoritative English Text of this Department Notification No.Rev.B.A. (3)-7/2010 dated 20<sup>th</sup> December, 2011 as required under article 348(3) of the Constitution of India).

## Government of Himachal Pradesh Department of Revenue

## **NOTIFICATION**

No.Rev.B.A.(3)-7/2010. Dated: Shimla-2,

20<sup>th</sup> December, 2011.

In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Himachal Pradesh Public Service Guarantee Act, 2011, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the services, designated officers, first appellate authority and stipulated time limits pertaining to revenue department, for the purpose of Act ibid as follows:

Services	Designated Officer	Time limit	First appellate Authority
Supply of copies of revenue records	Patwari	Same day if sought on Monday, Wednesday or Friday otherwise on next such day.	Tehsildar/ Naib Tehsildar in Tehsil/ Sub-Tehsil.
Reports for issuance of various certificates	Patwari	Same day if sought on Monday, Wednesday or Friday otherwise on next such day.	Tehsildar/ Naib Tehsildar in Tehsil/ Sub-Tehsil.
Reports of damages due to natural calamity	Patwari	Within 7 days.	Tehsildar/ Naib Tehsildar of Tehsil/ Sub-Tehsil
Entry of mutation	Patwari	Same day if presented on Monday, Wednesday or Friday otherwise on next such day.	Tehsildar/ Naib Tehsildar of Tehsil/ Sub-Tehsil
Issuance of various certificates.	Tehsildar/ Naib Tehsildar	To be issued or refused with a speaking order on same day, if Officer is present otherwise on next day.	Sub- Divisional Officer (C).
Attestation of affidavits/Power of Attorneys.	Tehsildar/ Naib Tehsildar	Same day, if Officer is present otherwise on next day.	Sub- Divisional Officer (C).
Registration of deeds/documents.	Tehsildar/ Naib Tehsildar	To be accepted or refused on same day, if Officer is present otherwise on next day.	Sub- Divisional Officer (C).

By Order,

Principal Secretary (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh.